फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री शाहरूख पठान निवासी बस स्टेण्ड चारभुजा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ **-- प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 18/2021**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.07.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ द्वारा जरिये क्रमांकः लोसूअप्रा/2021/1060—61 दिनांक 29.06.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई 05/2021/554—55 दिनांक 08.04.2021 के द्वारा भिजवायी जा चुकी है। चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 2 में वांछित सूचना प्रश्नात्मक होने से प्रतिलिपि दिया जाना संभव नही हैं। बिन्दु संख्या 3 में वांछित सूचना बिन्दु संख्या 2 के अभाव में दिया जाना संभव नही हैं। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 में अंकित सूचना प्रश्नात्मक है साथ ही वांछित सूचना की पत्रावली संख्या/प्रकरण संख्या/आदेश क्रमांक उल्लेखित नही हैं। अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिया जाना संभव नही हैं। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 02 में वांछित सूचना पर आधारित होने से बिन्दु सख्या 3 में वर्णित सूचना दिया जाना संभव नही हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना अस्पष्ट होने, प्रश्नात्मक होने तथा वांछित सूचना के संबंध में पत्रावली संख्या/प्रकरण संख्या/आदेश क्रमांक का उल्लेख नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही हैं। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ कि रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अस्पष्ट व प्रश्नात्मक होने से उक्त अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)